न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 78/2023 बउनवानी भवंरलाल टॉक बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री जगन्नाथ खटीक निवासी जोरपुरा सुन्दरियावास खटीको का मोहल्ला गोरमेंट अस्पताल के पास डूँगरी हिंगोनिया तहसील फूलेरा जिला जयपुर

GCMS No-2023/162

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.10.2023 व (4.10.2023) लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. दिनांक 3.8.2023 को रजिस्टर्ड डाक संख्या 888677572 आई एन पर भिजवाये गये प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी चाही गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा अति0जिला कलेक्टर स0मा0 के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(3)(27)सूकाअ/2023/2937 दिनांक 11.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा जरिये पत्रांक 4320 दिनांक 14.10.2023 से अपीलान्ट को सूचना(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी करौली के पत्रांक 949 दिनांक 12.5.2023 के संबंध मे जरिये पत्रांक 3946 दिनांक 24.8.2023 से प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।) उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 व (4.10.2023) के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 4320 दिनांक 14.10.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2024.01.10 12:07:56 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner